<u>परिशिष्ट ''एक''</u>

एफ.एल.2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(ख) विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(ग) पर्यटन बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(घ) विमानपत्तन रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.4 असैनिक विनोद–गृह, एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब लायसेंस हेतु आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज

नवीन / नवीनीकरण आवेदन :–

1. आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (आवेदक यदि कंपनी या फर्म है तो प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोग्राफ)
2. आवेदक का आचरण अच्छा होना चाहिए एवं किसी संगीन अपराध में दण्डित नहीं होना चाहिए। (जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण–पत्र)
3. आवेदक यदि कंपनी या फर्म है तो कंपनी या फर्म का नाम का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पार्टनरशिप डीड। (स्व–प्रमाणित)
4. होटल / रेस्टोरेन्ट का नगर निगम, नगर पालिका / ग्राम पंचायत का पंजीयन / अनापत्ति। (नगर निगम / नगर पालिका का प्रमाण पत्र / ग्राम पंचायत की अनापत्ति)
5. होटल जिस भूमि पर बना है, भूमि स्वामी का नाम एवं मकान का नक्शा जो नगर निगम या नगर एवं ग्राम निवेश से पास हो, की प्रति। यदि किराये पर लिया गया हो, तो पंजीकृत किरायानामा।
6. आवेदक का पेन कार्ड पंजीयन प्रमाण पत्र।
7. आवेदक का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी लायसेंस का स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र।
9. होटल के सामने एवं अंदर के भाग सम्पूर्ण वीडियोग्राफी का एक वीडियो आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवदेन करते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
10. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड किया जावेगा।

एफ.एल.2(क) स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3—क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(ख) विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(ग) पर्यटन बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3(घ) विमानपत्तन रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.4 असैनिक विनोद—गृह एवं एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति के नवीन/नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत एवं अपलोड किये जाने वाले शपथ—पत्र का प्रारूप

मैं स्वयं (नाम) .... एवं लायसेंस का नाम................................. जन्म दिनांक आयु (आवेदन दिनांक की स्थिति में) .... वर्ष .... माह .... दिन .... (पिता/पति का नाम) .... निवासी (पता) .... आधार नम्बर/अन्य पहचान नम्बर .... शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि शपथकर्त्ता भारत का नागरिक है।
2. मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम) .... की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीत हूँ।
3. मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक, लायसेंस का नाम .... के वर्ष .... के लिए नवीन आवेदन पत्र के माध्यम से लायसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही में आवेदन देने के हेतु अपात्र नहीं हूँ/है।
4. मेरी आयु .... वर्ष है, जो कि संबंधित आबकारी/स्वापक औषधियाँ तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लायसेंस सुविधा के आवेदन के लिये नियमानुसार पात्रता आयु से कम नहीं है।
5. मेरे द्वारा वांछित सहपत्र अपलोड कर दिये गये है, जो कि सत्य एवं पूर्ण है।
6. यह कि वर्ष 2025—26 के लिये शासन द्वारा होटल बार/क्लब के संबंध में जारी निर्देश में निर्धारित मापदण्डों के बिन्दु क्रमांक .... से .... तक की पूर्ति मेरे द्वारा की गई है।
7. मुझे यह ज्ञात है कि आबकारी विभाग के लायसेंस संचालन के लिये निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल पर लायसेंस स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है। अर्थात् अनुज्ञप्त परिसर सामान्य प्रयोग के नियम 1 के अनुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थित है।
8. मेरा मोबाइल नम्बर .... है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई—मेल एड्रेस .... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओं सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई—मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि लायसेंस अवधि में मेरा मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो में तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
9. वर्ष .... के लिए स्वीकृत लायसेंस व्यवस्था में लायसेंस अवधि के दौरान राज्य शासन यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा तथा मुझे मान्य होगा।
10. मेरा नाम आबकारी विभाग के काली सूची, एवं व्यतिक्रमी सूची में दर्ज नहीं है।
11. मेरे ऊपर शासन के आबकारी राजस्व का कोई बकाया नहीं है।
12. यह कि शपथकर्त्ता का नैतिक चरित्र अच्छा है और कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा शपथकर्त्ता को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ नियम 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

13. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सही है एवं शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति मेरे द्वारा की गई है। किसी भी स्तर पर अनियमितता प्राप्त होती है तो मेरी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होगी।
14. यह कि लायसेंसी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य पर नियोजित नहीं जावेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि हो, संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो, 21 वर्ष से कम आयु का हो।
15. आवेदक का हित देशी मदिरा के सी.एस.1, सी.एस.1ख एवं सी.एस.1खख अथवा एफ.एल.1(घघ), एफ.एल.1(घघ—कम्पोजिट), एफ.एल.9 व एफ.एल.9(क), सी.एस.2 (ग—अहाता), सी.एस.2 (ग—कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1(ख—अहाता), एफ.एल.1(ख—कम्पोजिट अहाता) के कारोबार से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
16. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सही है एवं शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति मेरे द्वारा की गई है। किसी भी स्तर पर अनियमितता प्राप्त होती है तो मेरी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होगी।

हस्ताक्षर

स्थान ....   दिनांक................

सत्यापन लेख

मैं, (नाम) .... पिता/पति का नाम श्री/श्रीमति/सुश्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र में समस्त वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपायी नहीं गई है। यदि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई है, तो मुझे स्वीकृत लायसेंस को निरस्त किया जा कर जमा समस्त प्रकार की राषि को राजसात किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर

स्थान ....   दिनांक................